International Journal of Sanskrit Research 2023; 9(4): 19-21

International Journal of Sanskrit Research

अनन्ता

ISSN: 2394-7519
IJSR 2023; 9(4): 19-21
© 2023 IJSR
www.anantaajournal.com
Received: 06-03-2023
Accepted: 26-04-2023

अतुल पंवार
पीएचडी शोधार्थी, संस्कृत विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

Corresponding Author:
अतुल पंवार
पीएचडी शोधार्थी, संस्कृत विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

भारतीय अभिलेखों में वर्णित आर्थिक विवरण पर एक अवलोकन

अतुल पंवार

DOI: https://doi.org/10.22271/23947519.2023.v9.i4a.2144

सारांश
अभिलेख इतिहास के पुनर्निर्माण विशेषकर प्रारंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए सर्वाधिक मूल्यवान स्रोत रहे हैं और साबित हुए हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य के तौर पर यह साहित्यिक स्रोतों से अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। क्योंकि अधिकतर साहित्यिक स्रोतों का काल है अनिश्चित है और हजारों वर्षों के प्रतियों के रूप में उन्हें सुरक्षित रखने की प्रक्रिया के दौरान उनमें बदलाव अवश्य ही हुए हैं। किसी ठोस सतह उदाहरण के लिए मोहरें, ताम्र पत्र, मंदिर की दीवारें, धातुएं, लकड़ी के पट्टे, कपड़ों के टुकड़े, स्मारकों के पत्थरों, खंबो चट्टानों की सतहों, ईटो, मूर्तियों आदि पर कोई भी लेखन अभिलेख कहलाता है। यह एक पाठ्य लेख होता है जो कि साहित्यिक शैली के साक्ष्य के काफी करीब है और साथ ही साथ एक पुरातात्विक कलाति भी है। जो उस समय की भौतिक सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है। अभिलेख पूरे ऐतिहासिक समय में विश्वव्यापी रहे हैं और यह भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में भी सत्य है। प्रारंभिक अभिलेख ऐतिहासिक जानकारी के अंश होते हैं और यह कि वह तरीका है जिसमें उनका उपयोग किया गया है। परंतु अभिलेख विभिन्न तरीकों से व्यक्त की गई ऐतिहासिक चेतना के प्रति कुछ संवेदनशीलता भी धारण करते हैं।

कूटशब्दः भारतीय अभिलेख, ऐतिहासिक साक्ष्य, मोहरें, ताम्र पत्र, मंदिर की दीवारें, धातुएं, लकड़ी के पट्टे

प्रस्तावना
पत्थर और धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण की गई पठनीय सामग्री (लेख–आदि) को अभिलेख कहते है। प्राचीन काल में शासक अभिलेखो का प्रयोग आदेश, राजाज्ञा या कोई सार्वजनिक सूचना को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए उत्कीर्ण करवाते थे। जिससे जनता उन्हे देख सके एवं पढ़ सके और राजाज्ञा का पूर्णरुप से अनुपालन किया जाएं। आधुनिक युग में शासन द्वारा जिस प्रकार नोटिस (सूचना पत्र) के द्वारा जनता को सूचना दी जाती है।
प्राचीन काल में यही काम अभिलेख को और शिलालेखों के माध्यम से किया जाता था। अभिलेख के लिए कड़े माध्यम जैसे पत्थर, धातु, ईंट, मिट्टी की तख्ती, काष्ठ, ताड़पत्र आदि की आवश्यकता होती थी। इसका कारण यह था कि सूचनाओं या राज घोषणाओं से किसी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव ना किया जा सके[1]। अभिलेख में अक्षर अथवा चिह्नों की खुदाई के लिए रूंखानी, छेनी, हथौड़े, (नुकीले), लौहशलाका अथवा लौहवर्तिका आदि का उपयोग होता था।[2]
अभिलेख तैयार करने के लिए राजा कारीगरों की नियुक्ति की जाती थी। ये कारीगर व्यावसायिक कारीगर होते थे। इन कारीगरों में मुख्य रूप से दो तरह के कारीगर देखने को मिलते हैं –
पहले साधारण हस्तलेख तैयार करनेवाले कारीगर – इन्हें लेखक, लिपिकर, दिविर, कायस्थ, करण, कर्णिक, करिणन्, आदि नामों से जाना जाता था।[3]
दूसरे अभिलेख तैयार करनेवाले कारिगर – इन कारीगरों को शिल्पों, रूपकार, शिलाकूट आदि नामों से जाना जाता था।[4]

अभिलेखों के प्रकार
प्रवृत्ति के आधार पर अभिलेखों को मुख्य रूप से निम्नलिखित 10 प्रकारों में विभक्त किया जाता है।[5]
(1) दान संबंधी (2) प्रशासकीय (3) प्रशस्तिपरक (4) धार्मिक और कर्मकांडीय (5) समर्पण तथा चढ़ावा संबंधी (6) व्यापारिक तथा व्यावहारिक (7) आभिचारिक (जादू टोना से संबद्ध) (8) उपदेशात्मक अथवा नैतिक (9) स्मारक तथा (10) साहित्यिक।

1. दान संबंधी अभिलेख
प्राप्त दान को स्थाई रूप से अंकित करने के लिए पहले पत्थरों का प्रयोग होता था बाद में ताम पत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। दान को प्राचीन काल में बहुत उच्च स्थान प्राप्त था।[6]

2. प्रशासकीय अभिलेख
राजा के द्वारा की गई सार्वजनिक घोषणाओं, राजाज्ञाओं को जनमानस तक पहुंचाने के लिए इन अभिलेखों का प्रयोग होता था कभी–कभी इन अभिलेखों भारत ऐतिहासिक घटनाओं का भी उल्लेख किया जाता था।[7]

3. स्मारक अभिलेख
जैसा कि नाम शब्द से ही ज्ञात होता है स्मारक अभिलेख किसी व्यक्ति और घटना की स्मृति में स्थापित किए जाते थे। आने वाली पीढ़ियां भी अपने इतिहास की गौरव गाथा से परिचित रहे इस उद्देश्य को केंद्र में रखकर इस प्रकार के स्मारक अभिलेख स्थापित किए जाते थे।[8]

4. साहित्यिक अभिलेख
साहित्य विशेष से अनुराग रखने वाले राजाओं और शासकों के द्वारा इस प्रकार के लेखों को बढ़ावा मिला। राजश्रय प्राप्त करने वाले कवियों लिखकों आदि की प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए भी इन अभिलेखों को अभीलिखित किया जाता था। इन अभिलेखो पर कोई उत्कृष्ट काव्य, नाटक आदि को भी उत्कीर्ण किया जाता था।

5. प्रशस्ति अभिलेख
प्राचीन काल में राज्य विस्तार के लिए युद्ध लड़े जाते थे। राजाओं के द्वारा युद्ध में विजय प्राप्ति होने पर राजा की दिग्विजय का वर्णन करने के लिए प्रशस्ति अभिलेख स्थापित किए जाते थे। इन अभिलेखों में राजा की विजय का वर्णन और उसकी विजय गाथा को उत्कीर्ण किया जाता था। भारत में इस प्रकार के अभिलेख बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण गौतमीपुत्र शातकर्णी, समुद्रगुप्त का अभिलेख रुद्रदामन का अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख, खारवेल का अभिलेख आदि है।

6. समर्पण अथवा चढ़ावा अभिलेख
प्राचीन भारतीय समाज में धार्मिक व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर थी राजाओं सामंतों के द्वारा मंदिरों को भारी मात्रा में स्वर्ण आभूषण चढ़ावे के रूप में दान किए जाते थे। दान किए गए इस भारी चढ़ावे को राजा शिलालेख या अभिलेख या तामपत्रों पर सार्वजनिक रूप से लिखा देते थे।

7. उपदेशात्मक अभिलेख
सम्राट अशोक जैसे राजाओं ने अपने शासनकाल में धर्म आदि को राजश्रय प्रदान किया।[4] और भारी संख्या में अभिलेखों और शिलालेखों के माध्यम से जनता को धर्म का उपदेश देने के लिए शिलालेख स्थापित कराए। जो वर्तमान में भी उपलब्ध है। अशोक के धर्म अभिलेखों में उपदेश आत्मक शैली बहुतायत में मिलती है। बेसनगर (विदिशा) के छोटे गरुड़ अभिलेख में भी उपदेश है – ''तीन अमृत पद है यदि इनका सुंदर अनुष्ठान हो तो ईश्वर को प्राप्त कर आते हैं दम त्याग और अप्रमाद ।''[9] इस प्रकार के अभिलेख भारत में ही नहीं बल्कि चीन और यूनान में भी पाए गए हैं।

8. आभिचारक अभिलेख
इस प्रकार के अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्षियों पर लिखे हुए प्राप्त हुए हैं इन अभिलेखों में देवताओं और पूज्य पशुओं की स्त्रियों का वर्णन है इस प्रकार के अभिलेख मिश्र यूनान आदि स्थानों पर भी पाए गए हैं। कुछ अभिलेखों में पंच महायज्ञ का भी वर्णन मिलता है।

9. व्यापारिक और व्यवहारिक अभिलेख
व्यापारियों की मुद्राओं पर उनके लिखे जो के संबंधित अभिलेख पाए गए हैं। क्योंकि प्राचीन काल में भारत यूनान पश्चिम एशिया मिश्र मे आदि देशों में व्यापारिक संबंध थे। व्यापारिक सूचनाएं इन लेखों में बहुतायत में पाई जाती है।

10. धार्मिक और कर्मकांडीय अभिलेख
धार्मिक कर्मकांड ओ को शासकीय स्तर पर जनमानस तक पहुंचाने के लिए इन अभिलेखों को स्थापित किया जाता था राजकीय त्योहारों के अवसर पर भी ऐसे अभिलेख स्थापित किए जाते थे।

भारतीय अभिलेखों में वर्णित आर्थिक अवलोकन
भारतीय अभिलेखों के अध्ययन से हमें सामाजिक स्थिति के साथ–साथ आर्थिक स्थिति का भी व्यापक बोध होता है। भारतीय अभिलेखों में सामाजिक विषयों पर चर्चा करते समय पर प्रशस्तिकार आर्थिक वर्णन भी उपस्थित करता था। जनता के द्वारा दाम देने की प्रणाली से वैभव तथा सुखी जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी धार्मिक नीति के कारण भारतीय आर्थिक स्थिति का पतोन्मुख कर दिया था।[10] उसके पश्चात शुग एवं सातवाहन नरेश सोनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया तथा पर्याप्त संख्या में सिक्के प्रचलित किए।
गुप्त काल आते–आते अर्थव्यवस्था उन्नत हो गई थी। गुप्त काल के एक अभिलेख में वर्णन आता है साम्राज्य में कोई भी अति दरिद्र तथा दुखी नहीं था।

आतो दरिद्रां व्यसनी कदर्यो दण्ड् न वा यो भृश पीडित स्यात् स्कन्द का जूनागढ लेख का० इ० इ० 3 पृ० 58)[11]
दान पत्रों के विवरण से जनता की प्रचुर संपत्ति का ज्ञान हो जाता है यद्यपि मौर्य लेखों में प्रसंग वश आर्थिक विषय का उल्लेख पाया जाता है। परंतु मध्ययुग से (700 ई०) निदान को जनता की आर्थिक स्थिति का द्योतक माना जाता है।प्राचीन पर प्रशस्तियों में विवरण मिलता है की जनता के जीविकोपार्जन का प्रधान साधन कृषि कर्म ही था। सभी प्रकार के फल तथा अन्य हां पैदा होते हैं उनके नामों का विवरण भी इन अभिलेखों में प्राप्त होता है। यद्यपि अशोक के शासनकाल में फलों का उल्लेख नहीं है परंतु दूसरे शिलालेख में पता चलता है कि फलों के वृक्ष स्थान स्थान पर लगाए गए थे –

मूलानि च फलानि च यत यत नास्ति सर्वत्र हारापितानि च (दूसरा शिलालेख)[12]
मध्य युग के आरंभ से दान संबंधी आज्ञा पत्रों में भोजन सामग्रियों का नाम भी यत्र तत्र पाया जाता है नालंदा के ताम्रपत्र में ''सम्यग् बहुधृत दधिभि व्यंजन युक्तमत्रम्'' (ए० ई० 20 पृ० 44) का वर्णन नाना प्रकार के व्यंजन युक्त भोजन का परिज्ञान करता है।
मेगास्थनीज ने भी सिंचाई के विषय में उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में तो मौर्यकालीन सिंचाई का विस्तृत वृतांत पाया जाता है। (21/23) ई० । अर्थशास्त्र सन 150 महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार लेख में उसी जिले का सविस्तृत वर्णन निम्न प्रकार से मिलता है।

मौर्यस्य राज्ञः चंद्रगुप्तस्य राष्टियेण वैश्येन
पुष्य गुप्तेन कारित, अशोकस्य मौर्यस्य यवनराजेन
तुषास्फेनाधिष्टाय पणालीभिरलकृत कृत कृत।[13]

सन्दर्भ

1. प्राचीन भारतीय अभिलेख, भाग 2, प्रो० वासुदेव उपाध्याय, पृ० 162
2. वहीं पृ० 380–82
3. वहीं पृ० 383
4. हिक्स ऐंड हिलः 2ध्7 ग्रीक हिस्टॉरिकल इंस्क्रिप्शन्स (द्वि.सं.), 1901
5. कार्पस इंस्क्रिप्शनम् इंडिकेरम्, जिल्द 1, पृ० 377–78
6. एपिग्राफिया इंडिका की जिल्द 1 प0 14, 18, 22

7. प्राचीन भारतीय अभिलेख, भाग 2, प्रो० वासुदेव उपाध्याय, पृ० 110
8. वहीं पृ० 218, वहीं पृ० 224–226
9. ए सर्वे ऑफ द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन सब–कॉन्टिनेंट बिफोर द कमिंग ऑफ द मुस्लिम्स। पृ0 314, लंदन 1956 द्य
10. बाशम, ए.एल. (1954)। द वंडर दैट वाज इंडिया, भाग 1, अध्याय 16 पृ0 संख्या 90, पृ0 112
11. कौशांबी, दामोदर धर्मानंद, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, पॉपुलर बुक डिपो मुंबई 90–94 प०
12. वहीं पृ० 27, 22
13. थापर रोमिला, अशोक के अभिलेख अध्याय 12
14. इंडिका, मेगस्थनीज 21/22
15. उपाध्याय, डा० वासुदेव, प्राचीन भारतीय अभिलेख (भाग 2) प्रज्ञा प्रकाशन, पटना
16. Hiralal, Rai Bahadur Inscription in the Central Provinces and Berer, 2nd Edition, Nagpur; c1932
17. Mirashi VV 2. Cropus Inscriptions Indicarum Vol. in Part-I, II Oatacammand; c1955.
18. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट
19. जैन बीसी उत्कीर्ण लेख, रायपुर
20. गुप्ता नीलिमा भारतीय लोक कला स्वाति पब्लिकेशन
21. आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया एनुअल रिपोर्ट
22. आप्टे, वामनशिवराम, संस्कृत हिंदी कोश
23. थापर रोमिला, अशोक के अभिलेख